

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/879 /

जबलपुर, दिनांक 24/1/2024

II-14-55/23

श्रीमती सुरभी सिंह, जूनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को पूर्व स्वीकृत दिनांक 12.12.2022 से 09.06.2023 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 10.06.2023 से 11.08.2023 तक 63 दिन का संतान पालन अवकाश के निरन्तर में दिनांक 12.08.23 से 15.12.2023 तक 126 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/880 /

जबलपुर, दिनांक 24/1/2024

II-14-55/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/2099 इंदौर दिनांक 17.08.2023 के संदर्भ में सुरभी सिंह, जूनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र दिनांक 14.08.2023 को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)